

राजस्थान सरकार  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
(समेकित बाल विकास सेवाएं)  
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.1(1)(23)स्था./आईसीडीएस/21/ 73767

जयपुर, दिनांक  
11/5/2022

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक 179918 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य) सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (बाल विकास परियोजना अधिकारी) के रूप में नियुक्ति प्रदान कर इन्हें दिनांक 27-12-2021 को अथवा 7 दिवस में हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर में फाउण्डेशन कोर्स (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है।

विभागीय आदेश क्रमांक 96 दिनांक 3-1-2022 के द्वारा सुश्री हिमानी वर्मा, बाविपअ परि. प्रशि. की कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 26-4-22 तक अभिवृद्धि की गयी थी। सुश्री हिमानी वर्मा की कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 23-6-2022 तक अभिवृद्धि की जाती है।

(रामावतार मीना)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ.1(1)(23)स्था./आईसीडीएस/21/ 73768-77

जयपुर, दिनांक  
11/5/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- (1) विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राज. जयपुर।
- (3) निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
- (4) संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग, राज. जयपुर को उनकी अ.शा.टीप क्रमांक एफ.9(1)कार्मिक/क-4/2/2021 दिनांक 27-12-2021 के क्रम में।
- (5) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- (6) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- (7) एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- (8) सुश्री हिमानी वर्मा, बाविपअ परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी
- (9) व्यक्तिगत पत्रावली।
- (10) आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक(प्रशासन)

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर